300

(252)

सं० सं० 14/एम–10–100/2006

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः–मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष में पूर्व से प्रावधानित राशि में वृद्धि करने के संबंध में।

सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के नाम से एक चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया है। सरकार द्वारा राज्य के वैसे नागरिकों जो गरीबी रेखा से उपर है परन्तु एक लाख से कम वार्षिक आय है, को असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान की सुविधा प्रदत्त है।

2. उक्त कोष में विभिन्न असाध्य रोगों के लिए अनुदान की राशि में बढ़ोत्तरी का प्रावधान विचाराधीन था। राज्य स्तरीय चिकित्सा परिषद के द्वारा इस पर बढ़ोत्तरी की अनुशंसा भी की गई थी और इस पर वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त की गई है।

3 इस बीच राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों के लिए मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्रावधानों के अंतर्गत सुविधाएँ देने का निर्णय संकल्प संख्या 944(14), दिनांक 20.8.2014 के द्वारा लिया गया है। चूँकि सेवा निवृत्त कर्मियों के लिए यह सुविधा इस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ की जा रही है इसलिए इसमें व्यय का आकलन होना अभी संभव नहीं प्रतीत होता है और इस बीच चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत रोगों के लिए अनुदान की राशि में भी यदि वृद्धि की जाती है, तो इससे कई तरह की अतिरिक्त कठिनाईयाँ हो सकती हैं। यद्यपि कि वित्त विभाग द्वारा सभी असाध्य रोगों की अनुदान वृद्धि पर सहमति दी गई है परंतु फिर भी उपरोक्त कारणों के आलोक में एवं लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर में Joint Replacement की सुविधा प्रारंभ किए जाने के कारण मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत Joint Replacement के सिर्फ दो रोगों के लिए अनुदान की प्रावधानित राशि में बढ़ोत्तरी किया गया है।

साथ ही वर्त्तमान में तेजाब से घायलों की संख्या अत्याधिक होने के कारण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार इनके पिड़ीतों के लिए भी अनुदान स्वीकृति का भी प्रावधान किया गया है।

4 इस परिप्रेक्ष्य में निम्न प्रावधान किये गये है।

(क) **Joint Replacement** के लिए प्रावधानित राशि में निम्नानुसार वृद्धि किया गया है। :

क्र0	रोगों का नाम		वर्त्तमान में अनुदान की राशि	प्रस्तावित राशि
(1)	(2)		(3)	(4)
1	आर्थोपेडिक	टोटल हीप रिपलेसमेन्ट	` 20,000/–	**50,000/–**
		टोटल नी रिपलेसमेन्ट	` 20,000/–	**50,000/–**
2	प्लास्टिक सर्जरी / तेजाब की घटना से पीड़िताँओं के लिये			1,00,000/–

(ख) स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0–42(14) दिनांक 19.1.07 द्वारा चिकित्सा अनुदान स्वीकृत करने के लिए पूर्व से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक एवं इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक ही पूर्व से प्राधिकृत थे। वर्त्तमान में लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर पटना, को भी प्राधिकृत किया जाता है। इन्हें भी एक मुश्त राशि चिकित्सा पर होने वाले व्यय के लिए अग्रिम के रूप में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) उपर्युक्त सुविधा वैसे लोक उपक्रमों के कर्मियों को भी दी जा सकेगी जो उपक्रम कार्यरत नही हों या घाटे में हों या विघटन की प्रक्रिया में हो। वैसे कर्मी अपने उपक्रम के प्रबंध निदेशक के माध्यम से समिति को अपना आवेदन भेजेंगे। इसके लिए उन्हे आय सीमा की बाध्यता नही होगी।

आदेश :–इस संकल्प को बिहार राज्य के असाधरण अंक में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

विनोद

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – पटना,दिनांक –

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस गुलजारबाग, पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

विनोद

ज्ञापांक 1012(14) पटना, दिनांक 3/9/14

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला एवं सचिवालय सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय/प्रधान सचिव, सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/अधीक्षक/उपाधीक्षक सभी सदर अस्पताल/ निदेशक टी0 बी0 डी0सी0 पटना, दरभंगा/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ।

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\sankalp\sankalp increasing amount CM Relief.doc